172

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार विभाग
(अनुभाग–6)

क्रमांक एफ 7(33)/प्रसु/अनु–6/04 जयपुर, दिनांक 09–09–2004

परिपत्र

सचिवालय नियमावली में यह स्पष्ट प्रावधान है कि सचिवालय के अनुभाग प्रत्येक माह बकाया पत्रों का मासिक विवरण एवं लम्बित प्रस्तावों का त्रैमासिक विवरण प्रशासनिक सुधार विभाग को प्रेषित करेंगे। सचिवालय नियमावली में यह भी प्रावधान है कि ग्रुप अधिकारी माह में एक बार एवं उप सचिव तीन माह में एक बार उनसे सम्बन्धित अनुभागों का निरीश्रण कर निरीक्षण की सूचना प्रशासनिक सुधार विभाग को प्रेषित करेगें। लेकिन प्राप्त सूचनाओं के आधार पर यह पाया गया है कि सचिवालय के कुछ अनुभागों द्वारा ही बकाया पत्रों के मासिक विवरण की सूचना भेजी जा रही है, जबकि किसी भी अनुभाग द्वारा लम्बित प्रस्तावों का त्रैमासिक विवरण नहीं भेजा जा रहा है।

इसी प्रकार यह भी पाया गया है कि कुछ ही अनुभागों के ग्रुप अधिकारीयों के मासिक निरीक्षण एवं उप सचिवों के त्रैमासिक निरीक्षण की सूचना प्राप्त हुई है जबकि प्रत्येक अनुभाग के ग्रुप अधिकारी एवं उप शासन सचिव के निरीक्षण की सूचना नियमित रूप से प्राप्त होनी चाहिये, जो प्राप्त नहीं हो रही है, जो राज्य सरकार के निर्देशों का स्पष्ट उलंघन हैं।

अतः सभी प्रमुख शासन सचिव शासन सचिवगण को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में वे स्वयं सुनिश्चित करें कि बकाया मासिक विवरण पत्र, लम्बित प्रस्तावों का त्रैमासिक विवरण एवं ग्रुप अधिकारी एवं उप सचिवों के निरीक्षण की सूचना समय पर प्रशासनिक सुधार विभाग को प्राप्त हो जावें। साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि बकाया सूचना को अब निम्नानुसार प्रशासनिक सुधार विभाग को प्रेषित की जावे:–

1. बकाया मासिक विवरण पत्र माह अगस्त, 2004 का 15 सितम्बर, 2004 तक
2. लम्बित प्रस्तावों का त्रैमासिक विवरण जुलाई से सितम्बर, 2004 तक का अक्टूबर, 2004 के द्वितीय सप्ताह तक,
3. ग्रुप अधिकारी के मासिक निरीक्षण की सूचना माह अगस्त, 2004 की सूचना 15 सितम्बर, 2004 तक तथा
4. उप सचिव के तीन माह के निरीक्षण प्रतिवेदन जुलाई से सितम्बर तक की सूचना माह अक्टूबर, 2004 की 10 तारीख तक।

प्रमुख शासन सचिव। शासन सचिव के स्पष्ट निर्देशों के पश्चात् भी अगर ग्रुप अधिकारी एवं सचिव के निरीक्षण की सूचना प्रशासनिक सुधार विभाग को समय पर प्राप्त नहीं होगी तो उनके विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने का आवश्यक प्रस्ताव कार्मिक विभाग को सीधे ही भिजवा दिया जावेगा, जिसके लिये ग्रुप अधिकारी एवं उप शासन सचिव जिम्मेवार होगें।

(आर0 के0 नायर)
मुख्य सचिव